अपील संख्या 2015/00189 (147/2015) 223 आरटीएक्ट

1. द्वारिका पुत्री दौलतराम जाति जाट निवासी चक 7 एमजेडडब्ल्यू डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ —अपीलान्ट

—: बनाम :—

1. अनिल कुमार पुत्र श्री दौलतराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुशीला पत्नी दौलतराम जाति जाट निवासी चक 7 एमजेडडब्ल्यू डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
2. दौलतराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी चक 7 एमजेडडब्ल्यू डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ —— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.07.2010 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिका टिब्बी प्रकरण संख्या 209/2010 बअनवानी अनिल बनाम दौलतराम

श्री राजीव कुलश्रेष्ठ, अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता अधिवक्ता रेस्पो.

निर्णय दिनांक —15.03.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने जरिये कुदरती वली माता दावा बाबत उद्घोषणा विरूद्ध दौलतराम प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति होने एवं घरेलू बंटवारे में वादी द्वारा काश्त करने के आधार प्रश्नगत भूमि को वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने की इस्तदुआ चाही, जो विचारण न्यायालय ने राजीनामा के आधार दावा वादी डिक्री किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतोर तृतीय पक्ष पेश की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अनिल कुमार जो नाबालिग है उसने अपनी माता के जरिये अपने पिता के खिलाफ घोषणा का दावा पेश किया है। पत्रावली में रेस्पोडेण्ट की तलबी किये बिना ही पेशी से पूर्व 15.07.2010 को पक्षकारान के मध्य राजीनामा का हवाला देते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। परन्तु पत्रावली पर कोई राजीनामा तस्दीक नहीं हुआ है। दौलतराम ने दो शादीयां की थी। प्रथम पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी दौलत ने की जिससे एक पुत्र व एक पुत्री हैं एवं प्रथम पत्नी से भी संतान है। प्रश्नगत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web copy Not official

भूमि पतृक है। इसलिए सभी संतान का पतृक सम्पति में हक होने से वे आवश्यक पक्षकार थे। परन्तु अपीलाण्ट को बिना पक्षकार बनाये रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने आपसी मिलीभगत कर निर्णय व डिक्री हासिल की है, स्वतः ही अवैध व शुन्य है। इसलिए अपीलाण्टा को बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए अपील भीतर मियाद मानते हुए अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर अपील स्वीकार फरमाई जावे।

4. विद्वान अधिवक्त रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष दौलतराम ने उपस्थित आकर दिनांक 16.07.2010 को मुताबिक दावा इस्तदुआ डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में दौलतराम का नाम खारिज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसका ज्ञान अपीलाण्ट को निर्णय पारित होने की दिनांक से ही था। अपील के समर्थन में अपीलाण्ट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से एवं दौलतराम के वारिस होने के कारण उसके हित प्रत्यक्षतः प्रभावित होना प्रतीत होने के कारण उसे बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
7. प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा –5 मियाद अधिनियम उसके साथ संलग्न शपथ–पत्र एवं उनमे अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। अपील प्रकरण का निस्तारण गृणावगृण पर श्रेयस्कर होने के कारण एवं अपीलाण्ट अपील में पक्षकार नही होने के कारण उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान न होना स्वाभाविक है। प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।
8. विचारण न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के विरूद्ध उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। जिसको रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के द्वारा दी गई अभिस्वीकृति के आंधार पर डिक्री किया गया है। अपीलाण्टा ने यह अपील दौलतराम की पुत्री होने के नाते प्रस्तुत की है। परन्तु विचारण न्यायालय में अपीलाण्टा को पक्षकार नही बनाया गया। प्रश्नगत भूमि पैतृक होने का कथन किया गया है एवं दौलतराम के रेस्पोडेण्ट अनिल के अलावा अपीलाण्टा व सरोज, मौनिका, पुत्री दौलतराम भी वारिस बनाये गये हैं, जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष इन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

सत्यमेव जयते
Web copy Not official

जहां तक राजीनामे का प्रश्न है रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा मात्र आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो न तो तस्दीक किया गया है, न ही पीठासीन अधिकारी द्वारा मार्क किया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में अपीलाधीन निर्णय उचित प्रतीत नही होता है एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दौलतराम के सभी वारिसान को पक्षकार बनाते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने हेतु लौटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विलेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.07.2010 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दौलतराम के सभी वारिसान को पक्षकार बनाते हुए साक्ष्य सुनवाई का ससुचित अवससर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.05.2019 को पेश हो। पत्रावली निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मूलचन्द आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी * हनुमानगढ़ (राज.) *